

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/136821/UNO/UNNAO/1096/CFO

दिनांक: 16-11-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL UNIT OF AMINSONS WELFARE SOCIETY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता 364,366,370, to 375,377-380,392min,1243,SHEKHPUR,,UNNAO TO SHUKLAGANJ-KANPUR ROAD,UNNAO तहसील - UNNAO, प्लाट एरिया 15624.34 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 6255.17 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 3 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK 3 EDUCATIONAL	4	0	15.50 mt.
BLOCK 2 SWIMMING	1	0	4.35 mt.
BLOCK 4 CANTEEN	1	0	6.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL UNIT OF AMINSONS WELFARE SOCIETY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 30-11-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SOM DWIVEDI, dwivedisom@gmail.com, 9935241202, के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 04-12-2024 से 04-12-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL UNIT OF AMINSONS WELFARE SOCIETY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स DELHI PUBLIC SCHOOL UNIT OF AMINSONS WELFARE SOCIETY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : This Final Certificate is granted strictly on the basis of FSO insp. report & his recommendations. This Fire Certificate is issued subject to sanctioning of the map by the licensing authority/local entity. As per instructions electricals safety certificate of the building from the concerned department should be taken prior to using of the building. In the month of Jan. and July submit the report of qualified agency also regarding working condition of fire installation measures in the Office of Fire dept. under Section 26(5) acc. to Act 2022, Non-compliance would lead to deemed cancellation of Fire Safety Certificate

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गत अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Anoop Singh)

[69AFE4B3BECEAEDD3AE98B5816C270D4B8D3C5A2]

04-12-2024